जमानत प्रार्थना पत्र सं०–९००/२०२२

आदेश

दिनांक १४–१०–२०२२

प्रार्थी/ अभियुक्त नेमपाल, रामकिशन की ओर से परिवाद सं०–५९०/१४, महेश बनाम रामकिशन आदि, धारा–१४७, ३२३, ५०४, ५०६ भा०दं०सं०, थाना–सहसवान, जनपद बदायूँ के अपराध में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर अपनी बहस में कहा गया है कि प्रार्थीगण को उक्त परिवाद में रंजीशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने परिवादी के साथ कोई मारपीट व बल्वा कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण अपनी–अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

मामला परिवाद पर आधारित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्तगण नेमपाल, रामकिशन का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त्त प्रत्येक द्वारा अंकन रूपये २५,०००/–का व्यक्तिगतबन्ध पत्र एवं समान राशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीन कुमार गौतम)
J.O.CODE. UP3284
न्यायिक मजि0
सहसवान, जनपद बदायूँ।